

पत्रांक : 33/वि. (महंगाई भत्ता/महंगाई राहत)-54/2017...10.92/वि०

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची/दिनांक : 15/05/2025

संकल्प

विषय : दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महंगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/02/2024-P & PW (D) दिनांक 11.04.2025 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की वर्तमान दर को 53% (तिरपन प्रतिशत) से बढ़ाकर 55% (पचपन प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्तमान में अनुमान्य महंगाई राहत की दर को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

“राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 55% (पचपन प्रतिशत) महंगाई राहत स्वीकृत किया जाय”।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 937/वि० दिनांक 24.04.2025 के क्रम में दिनांक 08.05.2025 की बैठक के मद सं० 06 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप-कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

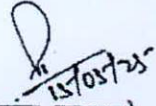
सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Fr. no. 90
EDP (S)

ज्ञापांक : 33/वि. (महंगाई भत्ता/महंगाई राहत)-54/2017.....1092/राँची, दिनांक 15/05/2025

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/
महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव
के संयुक्त सचिव/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी
आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप-कोषागार पदाधिकारी/ पेंशन शाखा, वित्त विभाग/ जन सूचना
कोषांग, वित्त विभाग/ वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, झारखण्ड, राँची/ सांस्थिक वित्त प्रभाग, वित्त विभाग
को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ उप महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया, नागपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ सभी राज्यों के महालेखाकार
कार्यालय/ महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रसंग में महंगाई राहत की इस स्वीकृति के
संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही
अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/ सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-
गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी
तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रशांत कुमार)

सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।